

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर

क्रमांक : ए.4() लेखा / बीएनपी / 10 / ४५२।

दिनांक : २९ - ३१।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला क्षय रोग अधिकारी / प्रभारी अधिकारी, क्षय रोग

विषय :— वित्तीय वर्ष 2011-12 मे पंचायत राज संस्थाओं को स्थान्तरित स्टाफ एवं गतिविधियों के नवीन बजट मदों के क्रम मे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से पंचायत राज संस्थाओं को स्थान्तरित स्टाफ एवं गतिविधियों के वित्तीय प्रावधान हेतु वित्त विभाग द्वारा नवीन बजट मद खोले गये हैं। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 से समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी संलग्नक अनुसार नवीन मदों से व्यय किया जाना सुनिश्चित करावें। जो स्टाफ एवं गतिविधियों पंचायत राज संस्थाओं को स्थान्तरित नहीं हुई है उनके समस्त प्रकार के आहरण पूर्व की भाँति ही संचालित बजट मदों मे ही किया जावे। वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु इन्ही मदों मे बजट आवंटन किया जायेगा। अतः व्यय इन्ही मदों मे किया जाना सुनिश्चित करें।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1.04.11 से उपरोक्तानुसार ही राशि आहरित की जावे अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ए.4() लेखा / बीएनपी / 10 /

दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
2. उपशासन सचिव, बजट / वित्त व्यय-प्रथम।
3. आयुक्त, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला परिषद राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
✓ 6. प्रार्थी सर्वरक्षण को ऑफिस क्र निकटवर्ती
से एकत्र भी केवलाईट पर इन दोनों
पुण्डों को डालने का काम करें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

१५०-१५१५
३१/३१/२०११
व. लेखाधिकारी
निदेशक, एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

वित्तीय वर्ष 2011-12 से पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित गतिविधियों के फलस्वरूप गठित नवीन बजट मदों की सूची

क्र.सं.	नवीन बजट मद
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी
	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
	(01)-जिला स्तरीय संस्थापन
	[01]-क्षेत्रीय और जिला स्थापना
	[03]-खाय कलोनिक
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी
	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
	(02)-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
	[01]-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	[03]-स्वास्थ्य उप केन्द्र
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी
	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
	(01)-ब्लॉक रत्तीय संस्थापन
	[01]-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	[03]-स्वास्थ्य उप केन्द्र
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	06-लोक स्वास्थ्य
	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
	(01)-जिला स्तरीय संस्थापन
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	06-लोक स्वास्थ्य
	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
	(02)-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-जिला स्तरीय संस्थापन
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	06-लोक स्वास्थ्य
	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
	(01)-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
	[01]-खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी
	196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
	(02)-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-जिला स्तरीय संस्थापन
	[03]-खाय कलोनिक
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
	03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी
	197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
	(03)-अनुसूचित जातियों के लिये ब्लॉक स्तरीय संस्थापन
	[01]-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	[03]-स्वास्थ्य उप केन्द्र